डी पी एच सी एल
DPHCL

11 वीं वार्षिक रिपोर्ट
11 th ANNUAL REPORT
2017-18

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल
DPHCL

11 वीं वार्षिक रिपोर्ट
11th ANNUAL REPORT

2017-18

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

विषय–सूची | Contents

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना Company Information	1
2.	नोटिस Notice	2
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function of DPHCL	4
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Director's Report	8
5.	कर योग्य आय की गणना Computation Of Taxable Income	18
6.	बैंक समाधान विवरण Bank Reconciliation Statement	19
7.	तुलन–पत्र Balance Sheet	20
8.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	22
9.	नकद प्रवाह का विवरण Cash Flow Statement	24
10.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements	26
11.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor’s Report	36
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी Comments of The Comptroller General Of India	46

कंपनी सूचना
COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2017–2018)
Board of Directors (2017-2018)

श्री अमूल्य कुमार पटनायक
Shri Amulya Kumar Patnaik
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 31.01.2017)

श्री राजेश मलिक
Shri Rajesh Malik
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 04.12.2017)

श्री अजय कुमार सिंह
Shri Ajai Kumar Singh
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 18.11.2016 से/to 30.11.2017)

श्री गुत्ती लाल मीना
Shri Gutti Lal Meena
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 25.05.2017 से/to 10.11.2017)

श्री सुधीर कुमार राय
Shri Sudhir Kumar Rai
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 22.08.2017)

श्री संजय प्रह्लाद पाठक
Shri Sanjay Prahlad Pathak
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 28.03.2014 से/to 31.05.2017)

श्री राकेश मित्तल
Shri Rakesh Mittal
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 20-03-2015)

श्री मृत्युंजय झा
Shri Mrityunjay Jha
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 11.08.2017)

श्री महेश कुमार
Shri Mahesh Kumar
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 18.11.2016)

श्री तरसेम कुमार
Shri Tarsem Kumar
अपर निदेशक Additional Director
(दिनांक/w.e.f. 26.02.2018)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स दुआ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
3404, मदन मार्किट, हकीम बाका स्ट्रीट,
हौजकाजी, दिल्ली – 110006

Statutory Auditors
M/s. Dua and Associates
Chartered Accountants
3404, Madan Market, Hakim Baqa Street,
Hauz Qazi, Delhi – 110006

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

Bankers
State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

Registered Office :
Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534

दूरभाष : 23490357 **ई–मेल : dphcltd@yahoo.com**

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के सदस्य गणों की 11वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2018 को अपराह्न 05:15 बजे पुलिस मुख्यालय के कान्फ्रेंस हॉल, पुलिस मुख्यालय में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों सहित 31 मार्च, 2018 के तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि का लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों सहित निगम के वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अपनाना।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना और और निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।''

विशेष कार्य:

3. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री तजेंदर सिंह लूथरा (डिन: 08205508), जिन्हें दिनांक 23 अगस्त, 2018 को आयोजित बैठक में अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

   ''**संकल्प किया जाता है कि** दिनांक 23 अगस्त, 2018 के बोर्ड के संकल्प के अनुसार श्री तजेंदर सिंह लूथरा प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे।''

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
ह.
तजेंदर सिंह लूथरा (आईपीएस)
डिन–08205508
प्रबंध निदेशक
पताः 16,पार्क स्ट्रीट,
नई दिल्ली – 110001

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30.11.2018

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Regd. Office: K- BLOCK VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
CIN No.: U4500DL2007GOI170534
PHONE.011- 23490357, Email : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE ELEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MAMBERS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED WILL BE HELD ON 12TH DAY DECEMBER, 2018 AT 5:15 PM. IN THE CONFERENCE HALL /PHQ, NEW DELHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESSES:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider the audited financial statements of the Corporation for the Finacial Year ended 31st March 2018 including Balance Sheet as at 31st March 2018 and the Statement of Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed together thereto, together with Reports of Statutory Auditors for that year.

2. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the year 2018-19 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the followinfg resolution an **ordinary resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions Section 139(5) and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and rules framed there under, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2018-19."

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **ordinary resolution:**

   "**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh.Tajender Singh Luthra (DIN-08205508), who was appointed as Additional Director in meeting held 23rd August, 2018 and who hold office up to the date of this Annual General Metting be and is hereby appointed as Director not liable to retire by rotation."

   "**RESOLVED FURTHER THAT** Sh. Tajender Singh Luthra will continue to work as Managing Directors of the Company as per board resolution dated 23rd August, 2018"

By the order of Board
Delhi Police Housing Corporation Limited

Place: New Delhi
Date: 30th November, 2018

(Tajender Singh Luthra,IPS)
DIN: 08205508
Managing Director
16, Park Street
New Delhi-110001

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर –दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer – One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum-Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :–

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012– यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक – दो
2. स्वतंत्र निदेशक – दो
3. कार्यकारी निदेशक – दो

सरकारी निदेशक :– डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली – पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर–सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा **अनुसूची 'ग' सीपीएसई** कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex-Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex -Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS : DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :- The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई–मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017–2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टों, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रुप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBII, dated 6th September, 2019.

विलंब कथन

(वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007–08 से 2018–19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBII, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on deted 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशकगण कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर 11वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिका प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. **व्यापार और प्रचालनः**

निगम की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, संरचना निर्माण या मरम्मत करना है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। सेक्टर–9 द्वारका की एक परियोजना प्रक्रियाधीन है और पूरी होने ही वाली है।

2. **वित्तीय सार अथवा विशेषताएँः**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सार इस प्रकार हैः

DIRECTOR'S REPORT

To,

The Members,

Directors of your company have pleasure in presenting their Eleventh Annual Report on the business and operations of the Company and Audited Financial Statements for the Financial Year ended on 31st March, 2018.

1. **Business and Operations:**

The main activity of the Corporation is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. One project of Sector 9 Dwarka is under process and yet to complete.

2. **Financial Summary or Highlights:**

The financial performance, for the year ended 31st March, 2018 is summarized as:

(राशि रुपयों में/Amount in Rupees)

विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष FY2017-18	वित्तीय वर्ष FY2016-17
प्रचालन से राजस्व (आय) (निवल)	Revenue from operations (net)	-	-
अन्य आय	Other income	12,634,463	38,719,300
कुल राजस्व	**TOTAL REVENUE**	**12,634,463**	**38,719,300**
व्यय	EXPENDITURE	6,255,178	38,507,869
असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) before Extra Ordinary items	6,379,284	211,431
जोड़ें : अपवादात्मक वस्तुएं	Add: Exceptional Items	-	-
घटाएंः असाधारण मदें	Less: Extra-ordinary Items	-	-
घटाएंः कर–निर्धारण के लिए प्रावधान	Less: Provision for taxation		
वर्तमान कर	Current Tax	1,908,504	2,143,582
आस्थगित कर	Deferred Tax	-	-
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) after Tax for the year**	**4,470,780**	**(1,932,151)**

3. **लाभांश**

आपकी कंपनी के निदेशक वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किसी भी लाभांश का प्रस्तावित नहीं करते हैं।

4. **आरक्षितः**

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 4,470,780/– का लाभ हुआ है, जिसे आरक्षित में अंतरित किया है, अतः कुल आरक्षित रु. 61,712,909/– बना है।

5. **व्यापार की प्रकृति में परिवर्तनः**

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. **निदेशक मंडलः**

निगम का निदेशक मंडल गठित है, जिसमें अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में दिनांक 31.03.2018 को निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार हैः

1. अध्यक्ष

   श्री अमूल्य कुमार पटनायक, पुलिस आयुक्त दिल्ली

2. प्रबंध निदेशक

   श्री राजेश मलिक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस

3. श्री मृत्युंजय झा (निदेशक), वित्तीय सलाहकार (आवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली

4. श्री सुधीर कुमार राय (निदेशक), निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

5. श्री तरसेम कुमार (अपर निदेशक), आईएएस, विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के दौरान नियुक्तियां

1. अवधि के दौरान श्री गुत्ती लाल मीना, आईएएस, विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिनांक 25 मई, 2017 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

2. अवधि के दौरान श्री मृत्युंजय झा, वित्तीय सलाहकार (आवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली दिनांक 11 अगस्त, 2017 को नामिती निदेशक नियुक्त किया गया और 21 दिसंबर, 2017 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निगम के निदेशक के रूप में नियमित किया

3. **Dividend:**

The Directors of your Company do not propose any dividend during the financial year 2017-18.

4. **Reserves:**

During the Financial year ended 31st March, 2018, the Company has incurred profit of Rs.4,470,780/- which was transferred to reserves, the total reserves stand at Rs.61,712,909/-.

5. **Change in the Nature of Business:**

There is no change in the nature of business during the Financial Year 2017-2018.

6. **Board of Directors:**

The Board of the Corporation is duly constituted, consisting of Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi and Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The Composition of the Board as on 31.03.2018 at the end of the Financial Year 2017-18 is:

1. Chairman

   Shri Amulya Kumar Patnaik, Commissioner of Police, Delhi

2. Managing Director

   Shri Rajesh Malik, Special Commissioner of Police, Delhi Police

3. Shri Mrityunjay Jha (Director), Financial Advisor (Housing), Delhi Development Authority (DDA), Vikas Sadan, INA, New Delhi

4. Shri Sudhir Kumar Rai (Director), Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi

5. Shri Tarsem Kumar (Additional Director), IAS, Special Secretary (Home), Government of National Capital Territory of Delhi.

Appointments during the Financial Year 2017-2018

1. During the period Shri Gutti Lal Meena, IAS, Special Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi was appointed as Director of the Corporation on 25th May, 2017.

2. During the period Shri Mrityunjay Jha, Financial Advisor (Housing), Delhi Development Authority (DDA) appointed as Nominee Director of the Corporation held on 11th August, 2017 and regularized as Director in the Annual General Meeting held on 21st December, 2017.

3. अवधि के दौरान श्री सुधीर कुमार राय, निदेशक (दिल्ली), प्रतिनिधि गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 22 अगस्त, 2017 को नामिती निदेशक नियुक्त किया गया और दिनांक 21 दिसंबर, 2017 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निगम के निदेशक के रूप में नियमित किया गया।

4. श्री राजेश मलिक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 04 दिसंबर, 2017 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

5. श्री तरसेम कुमार, आईएएस, विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 26, फरवरी, 2018 से निगम का अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सेवानिवृत्तियां और त्याग–पत्र

1. श्री राकेश मित्तल, निदेशक (दिल्ली) प्रतिनिधि गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के पूरा होने के कारण दिनांक 31 मई, 2017 को निगम के निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई है। बोर्ड श्री राकेश मित्तल को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

2. श्री संजय प्रहलाद पाठक, अपर आयुक्त (आयोग), दिल्ली विकास प्राधिकरण की उनकी सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31 मई, 2017 से निगम निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई । बोर्ड श्री संजय प्रहलाद पाठक को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

3. श्री गुत्ती लाल मीना, आईएएस, विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उनके अपर आयुक्त (पूर्वी दिल्ली नगर पालिका) के रूप 10 नवंबर, 2017 से निगम के निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई है।

4. श्री अजय कुमार सिंह, अईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली की उनकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 30.11.2017 से निगम प्रबंध निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई। बोर्ड श्री अजय कुमार सिंह को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

3. During the period Shri Sudhir Kumar Rai, Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi was appointed as Nominee Director of the Corporation held on 22nd August, 2017 and regularized as Director in the Annual General Meeting held on 21st December, 2017.

4. Shri Rajesh Malik, Special Commissioner of Police, Delhi was appointed as Managing Director of the Corporation w.e.f. 4th December, 2017.

5. Shri Tarsem Kumar, IAS, Special Secretary (Home), Government of National Capital Territory of Delhi was appointed as Additional Director of the Corporation w.e.f. 26th February, 2018.

Retirements and Resignations during the Financial Year 2017-2018

1. Shri Rakesh Mittal, Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi ceased to be the Director of the Corporation w.e.f. 31st May, 2017, due to his completion of Central Deputation Tenure. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Rakesh Mittal during his tenure with the Corporation.

2. Shri Sanjay Prahlad Pathak, Additional Commissioner (Planning), Delhi Development Authority (DDA) ceased from the post of Director of the Corporation with effect from 31st May, 2017 due to his retirement. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Sanjay Prahlad Pathak during his tenure with the Corporation.

3. Shri Gutti Lal Meena, IAS, Special Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi ceased to be the Director of the Corporation due to his transfer as Additional Commissioner (East DMC), with effect from 10th November, 2017.

4. Shri Ajai Kumar Singh, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi ceases to be the Managing Director of the Corporation with effect from 30th November, 2017 due to his retirement on superannuation. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Ajai Kumar Singh during his tenure with the Corporation.

11वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक का प्रस्तावित नियमितीकरण

श्री तजेंदर सिंह लूथरा, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 23 अगस्त, 2018 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में निगम के अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है। साथ ही बोर्ड उनकी इस नियुक्ति की सिफारिश करता है।

7. **बोर्ड मीटिंग की संख्या:**

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच का अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें निम्नांकित तारीखों को हुईं:

1) 28 जून, 2017 2) 20 सितंबर, 2017

3) 21 दिसंबर, 2017 4) 20 मार्च, 2018

Proposed Regularisation of Director in the 11th AGM

Shri Tajender Singh Luthra, Special Commissioner of Police, Delhi was appointed as Additional Director of the Corporation in the Board Meeting held on 23rd August, 2018 and who holds office up to the date of this Annual General Meeting is hereby proposed to be appointed as Director not liable to retire by rotation. And the Board recommends his appointment as such.

7. Number of Board Meetings:

The Board met 4 (four) times during the financial year. The intervening gap between two Board Meetings was within the period prescribed by the Companies Act, 2013.

During the year under review, the Board met four times on the following dates:

1) 28th June, 2017 2) 20th September, 2017

3) 21st December, 2017 4) 20th March. 2018

नाम और पदनाम Name & Designation	बोर्ड मीटिंग की तारीख Date of Board Meeting	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति Attendance in the Board Meeting	कंपनी में निदेशकों की संख्या No. of directorships in Companies
श्री अमूल्य पटनायक, अध्यक्ष Sh.Amulya Patnaik, Chairman	28.06.2017, 20.09.2017, 21.12.2017, 20.03.2018	4	शून्य / NIL
श्री अजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक Sh.Ajai Kumar Singh, Managing Director	28.06.2017, 20.09.2017,	2	शून्य / NIL
श्री राकेश मित्तल, निदेशक Sh. Rakesh Mittal, Director	-	-	शून्य / NIL
श्री एस. पी. पाठक, निदेशक Shri S.P. Pathak, Director	-	-	शून्य / NIL
श्री गुत्ती लाल मीना, निदेशक Sh. Gutti Lal Meena, Director	28.06.2017	1	शून्य / NIL
श्री मृत्युंजय झा, निदेशक Sh. Mrityunjay Jha, Director	20.09.2017, 21.12.2017 20.03.2018	3	शून्य / NIL
श्री सुधीर कुमार राय, निदेशक Sh. Sudhir Kumar Rai, Director	20.09.2017, 21.12.2017 20.03.2018	3	शून्य / NIL
श्री राजेश मलिक, प्रबंध निदेशक Sh. Rajesh Malik, Managing Director	21.12.2017, 20.03.2018	2	शून्य / NIL
श्री तरसेम कुमार, निदेशक Sh.Tarsem Kumar, Director	20.03.2018	1	शून्य / NIL

8. मूलभूत परिवर्तन और वचनबद्धता:

निगम की लेखा नीति को बदल दिया गया था और इसे दिनांक 20.09.2017 को हुई बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था। लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव से दिल्ली पुलिस आवास निगम की आय/लाभ में कमी आएगी और निगम की आयकर देयता कम हो जाएगी।

9. महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण:

किसी विनियामक/कोर्ट अथवा अधिकरण द्वारा कंपनी की चलायमान स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई भी सार्थक और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए।

10. सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण:

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कंपनी नहीं है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कोई कंपनी इसकी धारक/सहायक अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं बनी।

11. निवेश:

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के दायरे में कोई निवेश स्वीकार्य अथवा नवीकृत नहीं किया है तथा तुलन–पत्र की तारीख को कंपनी की ओर से कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था। वर्ष के दौरान, निगम ने जनता से कोई निवेश नहीं स्वीकारा है।

12. सांविधिक लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

मैसर्स दुआ एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षक ने सदस्यगणों को अपनी रिपोर्ट में अपनी राय के योग्यता के बिना कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है और इस संबंध में आपके निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

12.1 लेखापरीक्षक की टिप्पणी:

राईट्स, ठेकेदार से इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना दिनांक 30.06.2013 को पूरा हो चुकी है बाराखंभा रोड परियोजना के लिए को रु. 8,81,08,583.81 की वसूली योग्य राशि प्राप्त नहीं हो पाई है और गृह मंत्रालय को भुगतान किया गया है। पूर्ण हो चुकी परियोजना से देय धनराशि की वसूली के बिना एक अन्य परियोजना के लिए धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

8. Material Changes and Commitments:

The accounting policy of the Corporation was changed and it was approved in the board meeting held on 20.09.2017. The impact of change in the accounting policy will result in decrease in the income/profit of DPHCL and reduced income tax liability of the Corporation.

9. Details of Significant and Material Orders:

There were no significant and material orders passed by any regulators/courts or tribunals impacting the on-going concern status and company's operations in future.

10. Details of Subsidiary/Joint Ventures/ Associate Companies:

The Company does not have any Subsidiary/ Joint Venture/Associate Company and no Company became its Holding, Subsidiary or Joint Venture Company during the financial year 2017-18.

11. Deposits:

The Company has not accepted nor renewed any deposits within the meaning of Section 73 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 during the financial year 2017-18 and no amount of principal or interest was outstanding on the part of the company as on the Balance Sheet date. The Corporation has not accepted any deposits from public during the year.

12. Statutory Auditors and Audit Report:

M/s Dua & Associates, Chartered Accountants, were appointed as the Statutory Auditors of the Corporation by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for the financial year 2017-2018.

The Auditors' in their Report to the members without qualifying their opinion have drawn attention on few points and the explanation of your board with respect to the same are as below:

12.1 REMARKS BY THE AUDITOR:

Amount recoverable from RITES, the contractor against the Barakhamba Road project amounting to Rs.8,81,08,583.81 is not recovered & paid to MHA despite the fact that project has been completed on 30/06/2013. Fresh funds are being paid against another project without recovering funds due from completed project.

प्रबंधन का स्पष्टीकरण :

जैसा कि प्रबंधन इस मामले पर विचार किया है और अतः, बाराखंभा रोड परियोजना के लिए राईट्स, ठेकेदार से वसूली योग्य राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ राशि पहले ही राइट्स से वसूली जा चुकी है और राईट्स से शेष धनराशि जल्द ही वसूली जाएगी क्योंकि धनराशि की वसूली प्रक्रियाधीन है।

12.2 **लेखापरीक्षक की टिप्पणी:**

ठेकेदारों के पास पड़ी शेष धनराशि, उनके द्वारा किए गए खर्च और अधिशेष पर अर्जित ब्याज कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं हैं। ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल), ठेकेदार द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 17,29,873/– का अनुमत्य ब्याज को रु. 9,48,353/– संशोधित किया गया है। इसके अलावा एचपीएल ने दिनांक 31.03.2018 को बकाया अधिशेष पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है। कंपनी द्वारा कोई ब्याज आय तथा एचपीएल के पास लंबित अग्रिम पर भी गणना और बुकिंग नहीं की गई है। धन के इष्टतम उपयोग के संबंध में वित्तीय नियंत्रण नहीं है।

प्रबंधन का स्पष्टीकरण :

चूंकि वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा), प्रधान लेखा कार्यालय (वेतन और लेखा कार्यालय), गृह मंत्रालय (एमएचए), नई दिल्ली से प्राप्त दस्तावेजों और निर्देशों के अनुसार, नोट संख्या 15 (लेखों पर टिप्पणियां) के अनुसार लेखांकन नीति में बदलाव हुआ है, तदनुसार प्रबंधन मामले को बढ़ा रहा है।

13. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा:**

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपने दिनांक 01.10.2018 के पत्र संख्या 655–पीडीसीए/ एमएबी–IV /एचएस/ए/सीएस/डीपीएचसीएल/18–19/ 5220 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2018 की धारा 143(6)(ए) अंतर्गत दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है तथा अतः निगम की प्रबंधन से कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 के दौरान बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

14. **वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार:**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसरण में प्ररूप संख्या एमजीटी–9 के रूप में **अनुलग्नक 'क'** पर वार्षिक विवरणी का सार दिया गया है।

MANAGEMENT EXPLANATION:

As the management is considering the matter and thus, making efforts to get the recoverable amount from RITES, the contractor against the Barakhamba Road project. Some amount has already been recovered from RITES and the remaining funds with RITES will be recovered soon as the matter of recovery of funds is in process.

12.2 **REMARKS BY THE AUDITOR:**

Balances lying with contractors, expenses incurred by them & interest earned on surplus are not verified by the company. The figures provided by the contractors are accepted as such by the company. Attention is invited to the fact that interest allowed by Hindustan Prefab Limited (HPL), the contractor during the financial year 2016-17 amounting to Rs.17,29,873/- has been revised to Rs.9,48,353/-. Further no interest has been provided on the surplus outstanding as on 31.03.2018 by HPL. No interest income has been calculated & booked by the company also on advance pending with HPL. Financial controls regarding optimum utilization of funds not in place.

MANAGEMENT XPLANATION:

Since as per documents and directions received from Sr. AO (A/Cs) Principal Accounts Office (PAO), Ministry of Home Affairs (MHA), New Delhi, there is a change in Accounting Policy as per note No.15 (Notes on Accounts), the management is taking the matter accordingly.

13. **COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG) AUDIT:**

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) vide its letter No.655-PDCA/MAB-IV/HS/A/CS/DPHCL/18-19/5220 dated 01.10.2018, have decided not to conduct supplementary audit for the year ended 31.03.2018 under section 143(6)(a) of the Companies Act, 2018 and hencein it requires no explanation from the management of the Corporation.

Further, no frauds were reported U/s 143(12) to the Board during the Financial Year 2017-2018 under the Companies Act, 2013.

14. **Extracts of Annual Return:**

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as **Annexure 'A'** in form MGT-9.

15. ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय का विवरण

क. कंपनी निर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं है, अपने प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं है तथा इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय व व्यय नहीं था।

16. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित की है तथा समिति की संस्तुति के आधार पर दिनांक 29.03.2016 को कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति अनुमोदित की और वर्ष के दौरान कंपनी की सीएसआर नीति मे कोई बदलाव नहीं था।

समीक्षाधीन वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की दिनांक 21.12.20017 को एक (1) बैठक हुई।

15. Particulars regarding Conservation of Energy & Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo:

a. The Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operation and as such no specific methods have been adopted to conserve energy & technology absorption.

b. During the period under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

16. Corporate Social Responsibility (CSR):

Pursuant to DPE Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and Section 135 of the Companies Act, 2013, the Board has constituted CSR committee and based on the recommendation of the Committee, the CSR policy has been approved by the Board of Directors of the Company on 29.03.2016 and there was no change in the CSR policy of the company during the year.

During the year under review, the CSR Committee met one (1) time on 21.12.2017.

क्र.सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Shri Amulya Patnaik	अध्यक्ष Chairman	1	1
2	श्री मृत्युंजय झा Shri Mrityunjay Jha	सदस्य Member	1	1
3	श्री राजेश मलिक Shri Rajesh Malik	सदस्य Member	1	1

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ख'** पर संबद्ध है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

17. लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रकटीकरण:

समीक्षाधीन वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की निम्नांकित तारीखों को दो बार बैठक हुई:

1) 20 सितंबर, 2017

2) 21 दिसंबर, 2017

The annual report on CSR activities pursuant to Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 is attached at **ANNEXURE 'B'** forming part of this report.

17. Disclosure of Composition of Audit Committee:

During the year under review, the Audit Committee met two (2) times on the following dates:

1) 20th September, 2017

2) 21st December, 2017

क्र.सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Shri Amulya Kumar Patnaik	अध्यक्ष Chairman	1	1
2	श्री अजय कुमार सिंह Shri Ajai Kumar Singh	सदस्य Member	1	1
3	श्री गुत्ती लाल मीना Shri Gutti Lal Meena	सदस्य Member	1	शून्य Nil
4	श्री राजेश मलिक Shri Rajesh Malik	अध्यक्ष Chairman	1	1
5	श्री मृत्युंजय झा Shri Mrityunjay Jha	सदस्य Member	1	1
6	श्री सुधीर कुमार राय Shri Sudhir Kumar Rai	सदस्य Member	1	1

वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में सीएसआर समिति का गठन नीचे दिया जा रहा है:

1. श्री राजेश मलिक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, अध्यक्ष
2. श्री मृत्युंजय झा, वित्तीय सलाहकार (आवास) दिल्ली विकास प्राधिकरण, सदस्य
3. श्री सुधीर कुमार राय, निदेशक (दिल्ली) प्रतिनिधि गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, सदस्य

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

समिति का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध वित्तीय रिपोर्टिंग की उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अचूक एवं समय से प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध समिति की वित्तीय प्रक्रिया को मॉनीटर करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना है।

18. <u>आंतरिक वित्तीय नियंत्रण</u>

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

19. <u>ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया।

The Composition of the Audit Committee at the end of the Financial Year 2017-18:

1. Shri Rajesh Malik, Special Commissioner of Police, Delhi Police, Chairman
2. Shri Mrityunjay Jha, Financial Advisor (Housing), DDA, Member
3. Shri Sudhir Kumar Rai, Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi, Member

All recommendations made by the audit committee were accepted by the Board.

The primary objective of the committee is to monitor and provide an effective supervision of the Management's financial reporting process, to ensure accurate and timely disclosures, with the highest level of transparency, integrity and quality of financial reporting.

18. <u>Internal Financial Control:</u>

The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

19. <u>Particulars of Loans, Guarantees or Investments:</u>

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

20. <u>संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाओं के ब्यौरेः</u>

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गईं सविदाओं या व्यवस्थाओं का कोई दृष्टांत नहीं है। अतएव **अनुलग्नक 'ग'** के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्ररुप एओसी–2 में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

21. <u>जोखिम प्रबंधन नीतिः</u>

कंपनी की कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले तत्व बहुत कम हैं।

22. <u>लागत रिकार्डों के अनुरक्षण संबंधी प्रकटन</u>

कंपनी की गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार लागत रिकार्ड का अनुरक्षण अपेक्षित नहीं हैं।

23. <u>मानव संसाधन विकास</u>

कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। मानव संसाधन पहल के रूप में प्रशिक्षण और जन विकास को आवश्यकतः केंद्रित किया जा रहा है।

24. <u>आचार संहिता</u>

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए आचार संहिता बनाई है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

25. <u>निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (ग) में संदर्भित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण के अनुसार निदेशकों का कहना है किः

(क) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

20. <u>Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties:</u>

There were no instances of contracts or arrangements entered by the Company with the related parties. Hence, there is no requirement to furnish particulars as required under sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in form AOC-2 under **Annexure 'C'**.

21. <u>Risk Management Policy:</u>

The Company does not have any Risk Management Policy as the elements of risk threatening the Company's existence are very minimal.

22. <u>Disclosure regarding Maintenance of Cost Records:</u>

The maintenance of Cost Records as specified by the Central Government under Section 148 of the Companies Act, 2013 is not required in respect of the activities of the Company.

23. <u>Human Resource Development:</u>

The Industrial relations continued to be cordial in the Company. As a part of HR initiatives, training and people development are being given necessary focus.

24. <u>Code of Conduct:</u>

In compliance of DPE Guidelines, the company has framed the code of Conduct for the Board of Directors & Senior Management. All the members of Board affirm the compliance with the code on annual basis.

25. <u>Directors' Responsibility Statement:</u>

The Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act 2013, the directors would like to state that:-

(a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year 2017-18 and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(ङ) असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रस्तुति संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के उप खंड (ङ) कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी प्रणाली के उपयुक्त एवं प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

26. सामान्य प्रकटन

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मदों पर कोई लेन–देन नहीं हुआ है:

1. लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा विशेष अधिकार के साथ ईक्विटी शेयर को जारी करना।
2. किसी ईएसओपी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों(श्रम साध्य ईक्विटी शेयर सहित) को जारी करना।
3. कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा निधियों का प्रावधान।
4. बोनस शेयर।
5. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान तथा उनकी ड्यूटियों के संबंध में कंपनी की नीति।

27. आभारोक्ति:

आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जीएनसीटीडी और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्णतः और अत्यधिक सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एसबीआई, कंपनी के बैंकर, निगम के सनदी लेखाकार, कंपनी के कानूनी सलाहकार तथा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों को निगम के कार्यों को प्रबंधित करने में अथाह सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं। अंत में ही सही पर प्रधानतः आपके निदेशक दिल्ली पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों में से लिए गए कंपनी के स्व–अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समप्रित कार्मिकों के अत्यधिक आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके जोश और उत्साह से कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.	ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)	**(तजेंदर सिंह लूथरा)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक
डिन–07749756	डिन–08205508

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 12.12.2018

(e) The Company being unlisted, sub clause (e) of section 134(5) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls is not applicable to the Company.

(f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

26. General Disclosure:

Your Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following items as there were no transactions on these items during the year under review:

1. Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
2. Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme ESOP.
3. Provision of money by Company for purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
4. Bonus Shares.
5. Company's Policy relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge of their duties.

27. Acknowledgements:

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCTD and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Chartered Accountant of the Corporation, Company Law Advisor and Statutory Auditors of the Corporation for their untiring efforts in organizing the affairs of the Corporation. Last but not the least your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors
Delhi Police Housing Corporation Limited

(Amulya Kumar Patnaik)	**(Tajender Singh Luthra)**
Chairman	Managing Director
Din: 07749756	DIN: 08205508

Place: Delhi
Date: 12.12.2018

मूल्यांकन वर्ष	/ASSTT. YEAR	:	2018-19
पूर्व वर्ष	/PREV YEAR	:	2017-18
पैन	/PAN	:	AACCD8943J
स्थापना की तारीख	/D.O.I.	:	16/11/2007

कर योग्य आय की गणना
COMPUTATION OF TAXABLE INCOME

व्यापार अथवा व्यवसाय से आय	INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION		
लाभ और हानि लेखे से निवल लाभ	Net Profit as per Profit & Loss A/c		6,379,284
जोड़ें : धारा 37 सीएसआर भुगतान पर रोक	Add: CSR Payment Disallowed u/s 37		264,871
जोड़ें : धारा 40ए(ii) के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के ब्याज पर रोक	Add: Interest on TDS/I. Tax disallowed u/s 40a(ii)		14,575
जोड़ें : गत वर्षों के लिए आयकर के लिए प्रावधान	Add: Provision for Income Tax for earlier years		551,586
कुल आय	**Total Income**		7,210,316
कुल आय को पूर्णांक करना	Total Income r/off		7,210,320
कुल आय पर 25% की दर से कर	Tax on Total Income @25%		1,802,580
जोड़ें: 3% की दर से शिक्षा उपकर	Add: Education Cess @3%		54,077
जोड़ें : धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज	Add: Intt. U/s 234C		51,847
कुल कर	**Total Tax**		**1,908,504**
घटाएं : अग्रिम कर	Less: Advance Tax	-1470000	
घटाएं : स्रोत पर कटौती	Less: TDS	-702719	(2,172,719)
			(264,215)
घटाएं : स्वमूल्यांकन प्रदत्त कर	Less: Self assessment tax paid		-
देय वापसी	**Refund Due**		**(264,215)**

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

For and on behalf of the Board

ह.	ह.	Sd/-	Sd/-
(अमूल्य कुमार पटनायक)	**(तजेंदर सिंह लूथरा)**	**(Amulya Kumar Patnaik)**	**(Tajender Singh Luthra)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	CHAIRMAN	Managing Director
डिन–07749756	डिन–08205508	DIN: 07749756	DIN: 08205508

खाता सं. 30896561075 का 31 मार्च, 2018 को बैंक समाधान विवरण

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31ST MARCH, 2018 OF ACCOUNT NO. 30896561075

31.03.2018 को बैंक बुक के अनुसार शेष Balance as per Bank Book as on 31.03.2018	656.00
घटाएं: चैक जमा किया लेकिन अभी तक समाशोधित नहीं हुआ Less: Cheque Deposited but not credited by bank	शून्य Nil
जोड़े: चेक जारी किया लेकिन अदायगी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया Add: Cheque issued but not presented for payment	शून्य Nil
31 मार्च, 2018 के बैंक विवरण के अनुसार शेष (जमा) Balance as per Bank Statement 31st March 2018 (Cr)	656.00

खाता सं. 30316069825 का 31 मार्च, 2018 को बैंक समाधान विवरण

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31ST MARCH, 2018 OF ACCOUNT NO. 30316069825

31.03.2018 को बैंक बुक के अनुसार शेष Balance as per Bank Book as on 31.03.2018	10,332.00
घटाएं: चैक जमा किया लेकिन अभी तक समाशोधित नहीं हुआ Less: Cheque Deposited but not credited by bank	शून्य Nil
जोड़े: चेक जारी किया लेकिन अदायगी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया Add: Cheque issued but not presented for payment	शून्य Nil
31 मार्च, 2018 के बैंक विवरण के अनुसार शेष (जमा) Balance as per Bank Statement 31st March 2018 (Cr)	10,332.00

कांट्रेक्टर वाउचर / Contra Vocher

सं. / No. : 1

दिनांक / Dated 13/4/2017

विवरण /Particulars	नामे/Debit	जमा/Credit
सेवा मे/To स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825 State Bank of India –A/c-825		47,500.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075 State Bank of India-A/c-1075 डीआर/Dr	47,500.00	
लेखा/On Account of : सीएच. सं./Ch. No. :		
	47,500.00	47,500.00

प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता /Authorised Signatory

31 मार्च, 2018 को तुलन–पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं0	31/03/2018 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. ईक्विटी और देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयरपूंजी	3	50,000,000	50,000,000
आरक्षित और अधिशेष	4	61,712,909	57,242,128
गैर–चालू देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	–	789,503
चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	6	168,330,758	179,883,841
अल्पावधि प्रावधान	7	–	–
कुल		**280,043,667**	**287,915,472**
II.आस्तियां			
चालू आस्तियां			
नकद और नकद तुल्य	8	112,880,373	109,989,327
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	9	264,215	713,966
अन्य चालू आस्तियां	10	166,899,080	177,212,180
कुल		**280,043,667**	**287,915,472**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	**1व2**		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(तजेंदर सिंह लूथरा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 08205508

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2018

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
I. EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	**3**	50,000,000	50,000,000
Reserves and Surplus	**4**	61,712,909	57,242,128
Non-Current Liabilities			
Other Long Term Liabilities	**5**	-	789,503
Current Liabilities			
Other Current Liabilities	**6**	168,330,758	179,883,841
Short Term Provisions	**7**	-	-
Total		**280,043,667**	**287,915,472**
II. ASSETS			
Current Assets			
Cash and Cash Equivalents	**8**	112,880,373	109,989,327
Short Term Loans and Advances	**9**	264,215	713,966
Other Current Assets	**10**	166,899,080	177,212,180
Total		**280,043,667**	**287,915,472**
Significant Accounting Policies **Notes forming Part of financial Statements**	**1&2**		

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Tejender Singh Luthra)
Managing Director
DIN No. 08205508

Place : New Delhi
Date : 19.09.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं0	31/03/2018 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. प्रचालनों से आय		-	-
II. अन्य आय	11	12,634,463	38,719,300
III. कुल राजस्व (I+II)		12,634,463	38,719,300
IV. व्यय			
परियोजना व्यय की लागत	12	4,794,362	31,092,500
अन्य व्यय	13	1,460,816	7,415,369
कुल व्यय		6,255,178	38,507,869
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ	(III – IV)	6,379,284	211,431
VI. आपवादिक मदें		--	--
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V – VI)		6,379,284	211,431
VIII. असाधारण मदें		--	--
IX. कर पूर्व लाभ (VII – VIII)		6,379,284	211,431
X. कर व्यय:			
(1) चालू कर		1,908,504	2,143,582
(2) आस्थिगित कर		--	--
XI. निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ/(हानि)	(IX – X)	4,470,781	(1,932,151)
XII. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि)		--	--
XIII. अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		--	--
XIV. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XII- XIII)		--	--
XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI + XIV)		4,470,781	(1,932,151)
XVI. प्रत्येक रु.100/— के सममूल्य के ईक्विटी शेयर			
XVII. प्रति ईक्विटी शेयर आय:			
(1) मूल और मिश्रित		8.94	(3.86)
XVIII. प्रति शेयर की आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या			
(1) मूल और मिश्रित		500,000	500,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	1व2		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(तजेंदर सिंह लूथरा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 08205508

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE ENDED 31st MARCH 2018

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
I. Revenue from operations		-	-
II. Other Income	11	12,634,463	38,719,300
III.Total Revenue (I+II)		12,634,463	38,719,300
IV. Expenses:			
Cost of Project Expenses	12	4,794,362	31,092,500
Other Expenses	13	1,460,816	7,415,369
Total Expenses		6,255,178	38,507,869
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax	(III – IV)	6,379,284	211,431
VI. Exceptional Items		--	--
VII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		6,379,284	211,431
VIII. Extraordinary Items		--	--
IX. Profit before tax (VII – VIII)		6,379,284	211,431
X. Tax Expenses :			
(1) Current tax		1,908,504	2,143,582
(2)Deferred tax		--	--
XI. Profit (Loss) from the period from continuing operations	(IX – X)	4,470,781	(1,932,151)
XII. Profit/(Loss) from discontinuing operations		--	--
XIII. Tax expenses of discontinuing operations		--	--
XIV. Profit/(Loss) from Discontinuing operations (XII – XIII)		--	--
XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV)		4,470,781	(1,932,151)
XVI. Equity shares of par value a 100/- each			
XVII. Earning per equity share:			
(1) Basic and Diluted		8.94	(3.86)
XVIII. Number of shares used in computing earnings per share			
(1) Basic and Diluted		500,000	500,000
Significant accounting policies Notes on Financial Statements	1&2		

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Tejender Singh Luthra)
Managing Director
DIN No. 08205508

Place : New Delhi
Date :19.09.2018

2017–18 के लिए नकद प्रवाह का विवरण

		2017-18	
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	कराधान पूर्वलाभ	6,379,284	
	समायोजन के लिए:		
	ब्याज आय	(7,026,998)	
	ब्याज व्यय	-	
		(647,714)	
	चालू आस्तियों में वृद्धि	10,762,851	
	चालू देयताओं में वृद्धि	(12,342,586)	
	प्रचालन से सृजित नकद	(2,227,449)	
	प्रदत्त आयकर	1,908,504	
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद उपयोग		**(4,135,953)**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	प्राप्त ब्याज	7,026,998	
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद		7,026,998
ग	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद		-
	नकद और नकद समकक्ष में निवल (घटत)		2,891,045
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		109,989,327
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		**112,880,373**

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(तजेंदर सिंह लूथरा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 08205508

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR 2017-18

	2017-18	
A CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before taxation	6,379,284	
Adjustments for:		
Interest income	(7,026,998)	
Interest expense	-	
	(647,714)	
Increase in Current Assets	10,762,851	
Increase in Current Liabilities	(12,342,586)	
Cash generated from operations	(2,227,449)	
Income tax paid	1,908,504	
Net cash used in operating activities		**(4,135,953)**
B CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Interest received	7,026,998	
Net cash from investing activities		7,026,998
C CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Net cash used from financing activities		-
Net (decrease) in cash and cash equivalents		2,891,045
Cash & cash equivalents at beginning of the period		109,989,327
Cash & cash equivalents at endof the period		**112,880,373**

For and on behalf of the Board

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Tejender Singh Luthra)
Managing Director
DIN No. 08205508

Place : New Delhi
Date :19.09.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 कंपनी सूचना

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की स्थापना दिनांक 16.11.2007 को गृह–निर्माण और पुलिस थाना की इमारत तथा निर्माण कार्य/सिविल– निर्माण कार्य, मरम्मत आदि अथवा पुलिस विभाग की किसी भी इमारत संबंधी कोई भी निमार्ण कार्य को करने के उद्देश्य से की गई थी।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. वित्तीय विवरणिकाओं की मूल तैयारी

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन मानक और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति की आवश्यकता का पालन करते हैं।

ख. स्थायी आस्तियां

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं।

ग. मूल्हास

कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं इसलिए वर्ष के दौरान कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं हुआ।

घ. गैर–चालू देयता

गैर–चालू देयताएं शून्य है।

ङ. राजस्व मान्यता नीति

जब कभी उपार्जित होता है, आय को मान्यता दी जाती है।

च. कर के लिए लेखांकन

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में अदायगी योग्य कर की राशि पर चालू कर निर्धारित होता है।

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

1 CORPORATE INFORMATION

Delhi Police Housing Corporation Limited was incorporated on 16.11.2007 with the object of construction of houses and police station buildings and to undertake construction/civil work, repair etc. or to do any civil work in connection with any building belonging to police department.

2 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A BASIC PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to the relevant presentation requirement of the Companies Act, 2013.

b. FIXED ASSETS

No Fixed Assets purchased during the year.

c. DEPRECIATION

There is no Fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.

d. NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current Liabilities are nil.

e. REVENUE RECOGNITION POLICY

Income is recognized as and when accrued.

f. ACCOUNGING FOR TAX

Current Tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

छ. **सरकारी अनुदान का लेखांकन**

कंपनी को कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरणों के लिए गृह मंत्रालय से अनुदान मिल रहा है। अनुदान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित लागतें होती हैं। कंपनी ने उसे राजस्व अनुदान माना है तथा लाभ और हानि लेखा का विवरण में निर्माण व्यय और निष्पादन व परामर्श प्रभार के अंतर्गत व्यय को बुक किया है।

ज. **प्रावधान**

माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री वाले प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब घटनाओं के परिणामस्वरूप दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देयताएं मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन लेखों की टिप्पणी में बताया गर्या हैं। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता जाती है और न ही खुलासा किया गया है।

झ. **प्रति शेयर उपार्जन**

प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर प्रकट किया जाता है। प्रति शेयर अवमिश्रित उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा बकाया अवमिश्रित ईक्विटी शेयरों के समकक्ष प्रकट किया जाता है केवल, तब ही जब परिणाम अवमिश्रित विरोधी है।

ञ. पूर्ववर्ष के शेष/आंकड़ों को पुनः समूहित तथा पुनः समायोजित किया जाता है।

g. **ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS**

The Company has been receiving grants from Ministry of Home Affairs (MHA) for construction and modernization of office and residential building. Grants are recognized over the period in which the related costs are incurred. The Company has treated the same as revenue grant and has booked the expenditure under the head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Statement of Profit & Loss account.

h. **PROVISIONS**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

i. **EARNING PER SHARE**

Basic Earnings per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent share outstanding during the period, except when the results would be anti-dilutive.

j. Previous year Balances/Figures are regrouped & rearranged wherever necessary.

टिप्पणी संख्या : 3. शेयर पूंजी

क) शेयर पूंजी	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत प्रति रुपए 100/— के ईक्विटी शेयर	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
जारी				
प्रति रुपए 100/— के ईक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
प्रति रुपए 100/— के ईक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त किंतु पूर्णतः प्रदत्त नहीं				
कुल	**500,000**	**50,000,000**	**500,000**	**50,000,000**

ख. 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31/03/2018 को ईक्विटी शेयर		31/03/2017 को ईक्विटी शेयर	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	—	—	—	—
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	—	—	—	—
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ग. 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:

नाम	शेयर धारिता की संख्या	शेयर का प्रकार	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	499,940	ईक्विटी शेयर	99.99%

घ. 31/03/2018 को अदत्त अंश

विवरण	रुपए
निदेशक द्वारा	—
अधिकारियों द्वारा	—

टिप्पणी संख्या : 4. आरक्षित एवं अधिशेष (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्रारंभिक शेष	57,242,128	59,174,279
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	4,470,781	(1,932,151)
कुल	**61,712,909**	**57,242,128**

टिप्पणी संख्या : 5. अन्य दीर्घावधि देयताएं (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
दिल्ली पुलिस	—	789,503
कुल	—	**789,503**

Notes on Financial Statements

NOTE : 3. SHARE CAPITAL

a) Share Capital	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018		Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017	
	Number	Rs.	Number	Rs.
Authorised Equity shares of Rs.100 each	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
Issued				
Equity shares of Rs.100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed and Fully Paid up				
Equity shares of Rs. 100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed But not Fully Paid up				
Total	**500,000**	**50,000,000**	**500,000**	**50,000,000**

b) The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share Capital as at March 31, 2018 and March 31, 2017 is set out below:

Particulars	Equity Shares as on 31/03/2018		Equity Shares as on 31/03/2017	
	No.	Rs.	No.	Rs.
Shares outstanding at the beginning of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

c) Below are the name(s) of the shareholders holding more than 5% of Shares

Name	No. of Share Holding	Class of Share	Percentage of Holding
President of India	499,940	Equity Share	99.99%

d) Unpaid calls as on 31/03/2018

Particulars	Rs.
By Directors	-
By Officers	-

NOTE : 4. RESERVE & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Opening Balance	57,242,128	59,174,279
Add: Profit for the year	4,470,781	(1,932,151)
Total	**61,712,909**	**57,242,128**

NOTE : 5. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Delhi Police	-	789,503
Total	**-**	**789,503**

टिप्पणी संख्या : 6. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अव्ययित सरकारी अनुदान	70,279,301	4,173,663
भुगतान योग्य व्यावसायिक प्रभार	—	75,600
भुगतान योग्य लेखापरीक्षा फीस	49,500	59,400
आशु गुप्ता एंड कंपनी	65,400	36,750
भुगतान योग्य स्रोत पर कटौती	4,850	64,700
प्रतिभूति निवेश राइट्स	259,655	259,655
एटीजे एंड एसोशिएट्स	—	12,600
गृह मंत्रालय को भुगतान योग्य	97,640,907	174,726,473
राइट्स लिमिटेड	—	475,000
केबीडीएस कंपनी	31,145	—
कुल	**168,330,758**	**179,883,841**

टिप्पणी संख्या : 7. अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कर हेतु प्रावधान	1,908,504	2,143,582
घटाएंः अग्रिम कर	1,470,000	1,571,867
घटाएंः स्रोत पर कर की कटौती	438,504	571,715
कुल	—	—

टिप्पणी संख्या : 8. नकद और नकद समकक्ष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
क) बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825	10,332	4,746
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075	656	633
ख) अन्य (प्रकार विनिर्दिष्ट करें)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	112,869,385	109,983,948
कुल	**112,880,373**	**109,989,327**

टिप्पणीः नकद और नकद समतुल्य में बैंक के साथ कंपनी द्वारा रखी गई जमा राशि शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना मूलधन पर अर्थदंड के वापस लिया जा सकता है।

टिप्पणी संख्या : 9. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
आयकर वापसी मूल्यांकन वर्ष 2014–15	—	533,137
आयकर वापसी मूल्यांकन वर्ष 2017–18	—	180,829
आयकर मूल्यांकन वर्ष 2018–19	264,215	—
कुल	**264,215**	**713,966**

NOTE : 6. OTHER CURRENT LIABILITIES (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Unspent Government Grant	70,279,301	4,173,663
Professional Charges Payable	-	75,600
Audit Fees Payable	49,500	59,400
Ashu Gupta & Co.	65,400	36,750
TDS Payable	4,850	64,700
Security Deposit Rites	259,655	259,655
ATJ & Associates	-	12,600
Payable to MHA	97,640,907	174,726,473
Rites Limited	-	475,000
KBDS & CO	31,145	-
Total	**168,330,758**	**179,883,841**

NOTE : 7. SHORT TERM PROVISIONS (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Provision for Tax	1,908,504	2,143,582
Less: Advance Tax	1,470,000	1,571,867
Less: TDS Adjusted	438,504	571,715
Total	**-**	**-**

NOTE : 8. CASH & CASH EQUIVALENTS (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
a) Balance with Bank		
State Bank of India –A/c-825	10,332	4,746
State Bank of India-A/c-1075	656	633
b) Others (Specify nature)		
FDR's with SBI	112,869,385	109,983,948
Total	**112,880,373**	**109,989,327**

Note: Cash and Cash Equivalents includes deposites maintained by the Company with Bank, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

NOTE : 9. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Income Tax Refundable – AY-2014-15	-	533,137
Income Tax Refundable – AY-2017-18	-	180,829
Income Tax AY-2018-19	264,215	-
Total	**264,215**	**713,966**

टिप्पणी संख्या : 10. अन्य चालू आस्तियां (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्राप्ति योग्य एफडीआर पर ब्याज	3,602,535	2,485,707
हिंदुस्तान प्रिफेब लिमिटेड	3,860,378	88,716,151
राईट्स लिमिटेड	159,436,167	86,010,322
कुल	**166,899,080**	**177,212,180**

टिप्पणी संख्या : 11. अन्य आय (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
सरकारी अनुदान स्वीकारना	4,794,362	31,092,500
एसबीआई में सावधि जमा पर ब्याज	7,026,998	7,525,376
निविदा फीस	11,000	–
आयकर वापसी पर ब्याज	–	101,424
राशि बट्टे खाते में	802,103	–
कुल	**12,634,463**	**38,719,300**

टिप्पणी संख्या : 12. परियोजना लागत का व्यय (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निर्माण व्यय (पुलिस स्टेशन)	4,794,362	26,050,809
निष्पादन और परामर्श प्रभार	–	5,041,691
कुल	**4,794,362**	**31,092,500**

टिप्पणी संख्या : 13. अन्य व्यय (राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2018 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2017 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कानूनी और व्यावसायी फीस	45,430	110,200
प्रतिधारण प्रभार	493,500	483,000
आरओसी फीस	28,300	21,700
आयकर पर ब्याज/विलंब शुल्क/स्रोत पर कटौती	14,575	453,220
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	55,000	64,900
सीएसआर भुगतान	264,871	272,500
बट्टे खाते में राशि	–	6,000,000
बैंक प्रभार	1,554	1,251
आयकर का प्रावधान – मूल्यांकन वर्ष 2017–18 और 2014–15	551,586	–
विविध व्यय	6,000	8,598
कुल	**1,460,816**	**7,415,369**

NOTE : 10. OTHER CURRENT ASSETS (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Interest on FDR Receivable	3,602,535	2,485,707
Hindustan Prefab Limited	3,860,378	88,716,151
RITES Ltd	159,436,167	86,010,322
Total	**166,899,080**	**177,212,180**

NOTE : 11. OTHER INCOMES (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Government Grant recognized	4,794,362	31,092,500
Interest on term deposit with SBI	7,026,998	7,525,376
Tender Fees	11,000	-
Interest on Income tax Refund	-	101,424
Amount written back	802,103	-
	-	
Total	**12,634,463**	**38,719,300**

NOTE : 12. COST OF PROJECT EXPENSES (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Construction Expenses (Police Station)	4,794,362	26,050,809
Execution & Consultancy Charges	-	5,041,691
Total	**4,794,362**	**31,092,500**

NOTE : 13. OTHER EXPENSES (Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2018	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2017
Legal & Professional Fees	45,430	110,200
Retainership Charges	493,500	483,000
ROC Fees	28,300	21,700
Interest on Income Tax/TDS	14,575	453,220
Auditors Remuneration	55,000	64,900
CSR Payment	264,871	272,500
Amount Written Off	--	6,000,000
Bank Charges	1,554	1,251
Prov for Income Tax –Asst Yr 2017-18 & 2014-15	551,586	--
Misc. Exp.	6,000	8,598
Total	**1,460,816**	**7,415,369**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर अन्य टिप्पणियां

14. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने राइट्स लिमिटेड को रु.7,04,50,000/– का भुगतान किया। इस अनुदान से किए गए भुगतान को निर्माण लागत/निष्पादन और परामर्श शुल्क से संबंधित व्यय के रूप में माना जाता है जो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

15. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल), राइट्स लिमिटेड और अन्य कार्यकारी एजेंसियों के साथ ब्याज सहित अप्रयुक्त शेष राशि वरिष्ठ लेखा अधिकारी, (लेखा), प्रधान लेखा अधिकारी (प्रलेकार्या), गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार वेतन और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की है।

16. दिनांक 31.03.2018 को रु.41,73,663/– की अनुपयोगी अनुदान की शेष राशि बकाया थी और वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रु.7,09,00,000/– अनुदान प्राप्त हुआ तथा इस अनुदान में से वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु.47,94,362/– का उपयोग राइट्स लिमिटेड और अन्यों को भुगतान करके किया गया है। अनुपयोगी अनुदान को तुलन–पत्र में अन्य चालू देयताएं में दिखाया गया है क्योंकि इसे लाभ और हानि का विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता मिली है एक अवधि के बाद संबंधित लागत, जिसकी लेखांकन मानक–12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, का मिलान करना आवश्यक है।

17. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

18. लेखा मानक–15 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का अपना कोई कर्मचारी नहीं है।

19. प्रबंधन कार्मिकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

Other Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

14. During the financial year, the Company made a payment of Rs.7,04,50,000/- to Rites Limited. The payment made out of this grant is treated as expenditure relating to Construction Cost assuming the same utilized for the purpose.

15. The unspent balances along with interest accrued thereon pending with Hindustan Prefab Ltd. (HPL), Rites Limited and other Executing Agencies belongs to PAO, MHA as per directions of Sr. AO (A/Cs) Principal Accounts Officer (PAO), Ministry of Home Affairs (MHA), New Delhi.

16. There was outstanding balance of grant Rs.41,73,663/- as on 31/03/2018 and Rs.7,09,00,000/- received during the financial year 2017-18 as grant and out of these grants Rs.47,94,362/-has been utilized during the financial year 2017-18 by making payment to Rites Limited and others. The unutilized grant is shown in other current liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & loss over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard – 12.

17. There is no Contingent liability of the Company.

18. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.

19. The details of Management Personnel are as follows:

क्रसं0 S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Sh. Amulya Kumar Patnaik	अध्यक्ष Chairman	31/01/2017	जारी Continuing
2.	श्री राजेश मलिक Sh. Rajesh Malik	प्रबंध निदेशक Managing Director	04/12/2017	11/07/2018
3.	श्री तजेंदर सिंह लूथरा Sh. Tajender Singh Luthra	प्रबंध निदेशक Managing Director	11/07/2018	जारी Continuing
4.	श्री मृत्युंजय झा Sh. Mrityunjay Jha	नामिती निदेशक Nominee Director	11/08/2017	जारी Continuing
5	श्री एस. के. राय Sh. S. K. Rai	नामिती निदेशक Nominee Director	27/08/2017	31/08/2018
6.	श्री तरसेम कुमार Sh. Tarsem Kumar	नामिती निदेशक Nominee Director	04/01/2018	26/06/2018

20. कम्पनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को समाप्त करती हैं, जहां इसे कानूनन योग्य अधिकार हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन

20. The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intends to settle such assets and

मानक–22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं के समाधान करना होता है तथा तद्नुसार, कर के लिए प्रावधान अग्रिम कर और प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती को वित्तीय विवरणिकाओं में दिखाया गया है।

(राशि रुपयों में)

कर के लिए प्रावधान	19,08,504
अग्रिम कर	14,70,000
स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य	7,02,719
आयकर (स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर)	2,64,215

liability on a net basis in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable shown as follows in financial statements.

(Amount in Rs.)

Provision for Tax	19,08,504
Advance Tax	14,70,000
TDS receivable	7,02,719
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	2,64,215

21. प्रति शेयर मूल उपार्जन/अवमिश्रित की गणना लेखे के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को विभाजित किया गया है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या में से ईक्विटी शेयर धारकों के लिए उत्तरदायी है।

21. Basic/Diluted Earning Per Shares has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity share holders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

(राशि रुपयों में /Amount in Rs)

प्रति शेयर उपार्जन की गणना	Calculation of EPS	As on 31.03.2018 को	As on 31.03.2017 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	4470781	(1932151)
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	500000	500000
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	(8.94)	(3.86)
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100	100

22. कंपनी की लघु उद्योग/उपक्रमों के प्रति कोई देयताएं नहीं है।

23. कंपनी ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए रु.264871/– भुगतान किया है।

24. कुछ पक्षकारों के शेष और अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं।

22. The Company has no outstanding liability towards small–scale Industries/ undertakings.

23. The Company has made payment of Rs.264871/- towards Corporate Social Responsibility (CSR).

24. Balances of Parties & Advances are subject to confirmation.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(अमूल्य कुमार पटनायक)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 07749756

ह.
(तजेंदर सिंह लूथरा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 08205508

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date :19.09.2018

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Amulya Kumar Patnaik)
Chairman
DIN No.07749756

Sd/-
(Tejender Singh Luthra)
Managing Director
DIN No. 08205508

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड,

दिल्ली

1. एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संबद्ध **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 के तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

2. एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही और उचित दृष्किोण देते हैं।

इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाघड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

DUA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Independent Auditor's Report

To The Members

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED,

Delhi

1. Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** (THE COMPANY) which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

2. Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of Act read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय वरणों पर अपनी राय देना है।

यहां हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखापरीक्षा के मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके नियमों के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्विक गलतब्यानी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा के प्राप्त करने के लिए कार्यविधियाँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन, के जोखिम, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ है, का मूल्यांकन शामिल है। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक मानते हैं जो लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

4. राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीक से अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना को दर्शाते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित दृष्टिकोण दते हैं:

(क) 31 मार्च, 2018 को कंपनी के कार्यकलापों को तुलन– के मामले में; और

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion of these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

In the case of the balance sheet of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018.

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लाभ और हानि लेखे के मामले में; और

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरण के मामले में;

5. विषय का महत्व

अपनी राय को योग्य किए बिना, हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते है:

1. राईट्स, ठेकेदार से इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना दिनांक 30.06.2013 को पूरा हो चुकी है बाराखंभा रोड परियोजना के लिए को रु. 8,81,08,583.81 की वसूली योग्य राशि प्राप्त नहीं हो पाई है और गृह मंत्रालय को भुगतान किया गया है। पूर्ण हो चुकी परियोजना से देय धनराशि की वसूली के बिना एक अन्य परियोजना के लिए धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

2. ठेकेदारों के पास पड़ी शेष धनराशि, उनके द्वारा किए गए खर्च और अधिशेष पर अर्जित ब्याज कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं हैं। ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल), ठेकेदार द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 17,29,873/– का अनुमत्य ब्याज को रु. 9,48,353/– संशोधित किया गया है। इसके अलावा एचपीएल ने दिनांक 31.03.2018 को बकाया अधिशेष पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है। कंपनी द्वारा कोई ब्याज आय तथा एचपीएल के पास लंबित अग्रिम पर भी गणना और बुकिंग नहीं की गई है । धन के इष्टतम उपयोग के संबंध में वित्तीय नियंत्रण नहीं है।

6. अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') में अपेक्षित अनुसार हम जहां तक लागू होता है, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण को **''अनुलग्नक क''** पर प्रस्तुत हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क रिपोर्ट में ऊपर दिए गए मामलों को छोड़कर, हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;

ख हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है;

(b) In the case of the profit and loss account of the profit for the year ended on that date; and

(c) In the case of the Cash Flows, of the cash flows for the year ended on that date

5. EMPHASIS OF MATTERS

Without qualifying our opinion, we draw attention to:

1. Amount recoverable from RITES, the contractor against the Barakhambha Road project amounting to Rs.8,81,08,583.81 is not recovered and paid to MHA despite the fact that project has been completed on 30/06/2013. Fresh funds are being paid against another project without recovering funds due from completed project.

2. Balances lying with contractors, expenses incurred by them and interest earned on surplus are not verified by the company. The figures provided by the contractors are accepted as such by the company. Attention is invited to the fact that interest allowed by Hindustan Prefab Limited (HPL), the contractor during the financial year 2016-17 amounting to Rs.17,29,873/- has been revised to Rs.9,48,353/-. Further no interest has been provided on the surplus outstanding as on 31.3.2018 by HPL. No interest income has been calculated and booked by the company also on advance pending with HPL. Financial controls regarding optimum utilization of funds not in place.

6. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (auditor's Report) Order 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of Section 143 (11) of the Act, we give in the **"Annexure A"** statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:

a We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except on the matters given above in the report.

b in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

ग इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;

घ हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ 31 मार्च, 2018 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशकों द्वारा रिकार्ड करने के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2018 को निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

च कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का **"अनुलग्नक ख"** देखें।

छ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी का कोई लंबित मुकद्दमा नहीं है।

ii. कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि का प्रश्न नहीं उठता;

iii. ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां कंपनी द्वारा राशि को निदेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित अनुसार कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के बाद हमें उपयुक्त प्रतीत हुआ तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों में शामिल विषयों पर रिपोर्ट को **"अनुलग्नक ग"** पर इसके साथ अनुबंधित किया गया है।

कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

c the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

e on the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2018, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2018, from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

f with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure B".**

g with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us:

i. The Company has no pending litigation.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts; as such the question of commenting on any material foreseeable losses thereon does not arise.

iii. There were no amounts required to be transferred to investor education and protection fund by the company.

3. As required by section 143 (5) of the Act, on the basis of examination of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, the report on the matters covered by the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India is annexed herewith as per **"Annexure C"**.

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

DUA & ASSOCIATES DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

Chanchal Talwaria

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date : 19.09.2018

अनुलग्नक 'क'

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्यगणों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 7(1) में संदर्भित अनुलग्नक 'क'

(i) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है इसलिए यह बिंदु लागू नहीं है।

(ii) जैसा कि कोई माल–सूची नहीं है, कंपनी पर खंड (ii) लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को कोई प्रतिभूत/अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3(iii) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।

(vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण को विनिर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी खाता बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा–कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद–शुल्क, मूल्य योजित–कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित जो कंपनी पर लागू सामान्यतः अविवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदायगी योग्य तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए उक्त सांविधिक देय बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण आयकर, बिक्री–कर, सेवा–कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद–शुल्क, मूल्य योजित–कर के देयों का कोई बकाया नहीं है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से

Annexure "A"

Annexure "A" referred to in paragraph 7(1) of the Independent Auditor's Report to the members of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED on the financial statements for the year ended 31st March 2018.

(i) The company has no fixed assets, hence this pointnot applicable.

(ii) As there is no inventory clause (ii) is not applicable to the company.

(iii) According to the information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured to the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act. Accordingly paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees, and security.

(v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year.

(vi) As informed to us the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records u/s 148(1) of the Act.

(vii) (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues which are applicable to the Company including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales Tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above statutory dues in arrears as at the end of the financial year as at 31st March 2018 for a period of more than six months from the date they become payable.

(b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.

(viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has

कोई ऋण नहीं लिया है। वर्ष के दौरान, कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थान अथवा डिबेंचर धारकों के प्रति कोई बकाया नहीं है।

(ix) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रबंध समिति द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव अथवा ऋण सहित प्रारंभिक प्रस्ताव के रूप में धनराशि नहीं बढ़ाई है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर अथवा कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी न ही नोटिस अथवा रिपोर्ट की गई न ही प्रबंध समिति द्वारा ऐसे मामलों को सूचित किया गया है।

(xi) कंपनी ने अपनी प्रबंध समिति को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है इसलिए यह मद लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतएव आदेश का खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ लेन–देन नहीं हुआ, अतः यह मद लागू नहीं है।

(xiv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन अथवा निजी नियोजन अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(xv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा कंपनी से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकदीतर लेन–देन नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है तथा तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xvi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–000669एन
ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

not taken any loan from banks and financial institutions. The Company did not have any outstanding dues to any financial institution or debenture holders during the year.

(ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt.

(x) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company buy its officers or employees has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

(xi) The company had not paid any remuneration to its management hence this point is not applicable.

(xii) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3 (xii) of the Order are not applicable to the Company.

(xiii) There are no related party transactions during the year, hence this point is not applicable.

(xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3(xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act. 1934 and accordingly, the provisions of clause 3(xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date :19.09.2018

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** ('कंपनी') के 31 मार्च, 2018 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के एकल विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा तक लागू लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** ('the Company') as on 31st March 2018 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of internal Financial Controls Over Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'Guidance note'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note, to the extent applicable to an Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जांच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल करें।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिंद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंध उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditure of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नांकित विषयों को छोड़कर जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सक्षम नहीं है, कंपनी के पास भी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2018 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे:

1. शेष पर अर्जित ब्याज / ठेकेदारों के पास पड़ी धनराशि।
2. परियोजनाओं के पूर्ण होने और सौंपे जाने के बावजूद ठेकेदारों को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की गैर–वसूली।
3. एफडीआर के लिए धन के आवंटन की व्यवस्था और उसमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना।

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance note issuede by the Institute of Chartered Accountants of India except the following four areas where the internal control system is not at all adequate:

1. Interest earned on balance/idle funds lying with the contractors.
2. Non recovery of excess amount paid to contractor despite the projects had been completed and handed over.
3. System of allocation of funds for FDR & getting optimum returns thereon.

कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Place : New Delhi
Date :19.09.2018

अनुलग्नक 'ग'

Annexure "C"

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
वित्तीय वर्ष : 2017–18

Directions under Section 143(5) of the new Companies Act, 2013

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
F.Y. 2017-18

क्रसं.	विवरण	Sr.No.	Particulars
1.	क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया उस फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं, जिसके लिए स्वामित्व पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	**1.**	Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not, please state the freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?
उत्तर	लेखा बहियों और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कंपनी की अपने नाम पर कोई पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित संपत्ति नहीं है।	**Reply**	As per books of accounts & explanations and information provided to us, the company has no leasehold/freehold property in its name.
2.	क्या उधार/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते के कोई मामले हैं? यदि हां, तो इसके कारण और इसमें शामिल धनराशि बताएं।	**2.**	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc., if yes, the reasons therefor and amount involved.
उत्तर	लेखा बहियों के अनुसार – उधार/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते के कोई मामले नहीं हैं।	**Reply**	As per books of accounts – there is no case of waiver/write off of debts/loans/interest except
	कृपया 'विषय का महत्व' के मद सं. 2 के संदर्भ के बारे में		Kindly refer Point No.2 of "Emphasis of Matters" regarding
क)	एचपीएल, ठेकेदार के पास पड़ी निधियों पर वित्त वर्ष (2016–17) के लिए ब्याज आय को मूल राशि रु.17,29,873 में से रु.9,48,353/– तक में संशोधित की गई है। हालाँकि, इस तरह का अर्जित ब्याज कंपनी की आमदनी नहीं है, गृह मंत्रालय को रु.781,520/– तक की हानि हुई है।	a)	Interest income for the (FY 2016-17) on funds lying with HPL, the contractor has been revised to Rs.9,48,353/- from the original amount of Rs.17,29,873/-. Though such interest earned is not the income of the company, there is a loss to MHA to the extent of Rs.781,520/-.
ख)	वर्ष 2017–18 के लिए एचपीएल, ठेकेदार के साथ लंबित अग्रिम पर कोई ब्याज आय की गणना और बुकिंग नहीं की गई है।	b)	No interest income has been calculated and booked on advance pending with HPL, the contractor for the year 2017-18.
3.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी माल–सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/ अनुदानों के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकार्ड रखे गए हैं।	**3.**	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant(s) from the Government or other authorities.
उत्तर	लागू नहीं।	**Reply**	Not applicable.

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

269
2-11-18

गोपनीय

स. 655-PDCA/MAB-IV/HS/A/cs/DPHCL/18-19/ 5220
दिनांक :- 1.10.2018

सेवा में,

The Chairman,
Delhi Police Housing Corporation Limited,
K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi – 110002.

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत Delhi Police Housing Corporation Limited के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत **Delhi Police Housing Corporation Limited** के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Non-Review प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नः- यथोपरि

(राज कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड – IV

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel. / दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416,
ईमेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणिकों की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन समिति का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानको पर आधारित कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिका पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी **19 सितंबर, 2018 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट** में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय किया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.10.2018

ह.
(राजकुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड –IV

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018.

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 march 2018, in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Audit Report dated 19th September 2018.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 march 2018 under section 143 (6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi

Date: 31 **.10.2018**

(राज कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com